न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण टेलर**, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक विविध सं0 : 81/2026

(सीआईएस नं0 153/2026 एवं CNR No. RJBR01000408-2026)

आशिक अली पुत्र अब्दुल हबीब आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम भोज्याखेडी तहसील अन्ता जिला बारां (राज0) —प्रार्थी/अभियुक्त

:: बनाम ::

राज0 राज्य जरिये लोक अभियोजक, बारां (राज0)

—अप्रार्थी/विपक्षी

तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र **अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.**
एफ0आई0आर0 नं0 111/2025 पुलिस थाना अन्ता
सेशन प्रकरण संख्या 114/2025 सरकार बनाम आदिल अली वगै0
अपराध धारा 109(1), 331(2), 126(2), 115(2), 118(1), 3(5) बी0एन0एस0

उपस्थितः—
1— श्री भारतभूषण सक्सेना, अधिवक्ता— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2— श्री तेजेन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक— अप्रार्थी/विपक्षी की ओर से

——:: **आदेश** ::—— **दिनांकः 09.03.2026**

1— प्रार्थी/अभियुक्त आशिक अली की ओर से **धारा 483 बी.एन.एस.एस.** के अन्तर्गत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना अन्ता की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 111/2025 तथा इस न्यायालय के सेशन प्रकरण सं0 114/2025 राजस्थान राज्य बनाम आदिल अली उर्फ मोटा व अन्य, अन्तर्गत धारा 109(1), 331(2), 126(2), 115(2), 118(1), 3(5) बी0एन0एस0 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रार्थी का यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र होने का प्रमाण पत्र पेश किया। जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई। संबंधित पत्रावली कार्यालय से तलब की गई।

2— प्रार्थी/अभियुक्त आशिक अली का प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.06.2025 तथा द्वितीय जमानत आवेदन दिनांक 06.02.2026 द्वारा खारिज किये जा चुके हैं। यह तृतीय जमानत आवेदन है।

3— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि फरियादी नवल पुत्र रामेश्वर द्वारा मुलजिमान 1. आदिल अली उर्फ मोटा पुत्र अब्दुल हकीम, 2. आशिक अली पुत्र अब्दुल हबीब के खिलाफ उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 23.03.2025 को खाना खा पीकर वह तथा उसके पिताजी, उसकी मां, उसका भाई घर पर सो रहे थे। रात को करीब 01.30 बजे एकदम उसके पिताजी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह तथा उसकी मां उठे व बाहर बरामदे में आकर देखा तो उसके पिताजी रामेश्वर के आदिल पुत्र हकीम चाकू से मारने की नियत से वार कर रहा था। वह उन्हें संभालने आया तो उसके साथ भी जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया जिससे उसके बांये तरफ पसली, बांये हाथ की भुजा व गर्दन पर चोट आई और उसके पिताजी के भी पांच—छः जगह शरीर पर चोटें आई हैं। आदिल के साथ एक और व्यक्ति था जिसने मुंह पर कपडा बांध रखा था, जिसने भी लातों से उसके साथ मारपीट की। आदिल व उसके साथी ने उसे व उसके पिताजी की घर में घुसकर जान से मारने की नियत से चाकू से मारपीट की है। उसे व उसके पिताजी को उनके पडोसी सत्यनारायण मालव और महावीर पांचाल ईलाज हेतु अन्ता लेकर आये। घटना उसकी मां कान्ति बाई ने देखी है.....इत्यादि।

4— उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना अन्ता में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 111/2025 अन्तर्गत धारा 109(1), 331(2), 126(2), 115(2), 3(5) बी0एन0एस0 में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। समस्त अनुसंधान के पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त आशिक अली व अन्य सह—अभियुक्त आदिल अली उर्फ मोटा के विरूद्ध धारा 109(1), 331(2), 126(2), 115(2), 118(1), 3(5) बी0एन0एस0 के अपराधों का आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जहां से यह पत्रावली कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है तथा वर्तमान में यह पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर नियत है तथा अब तक इस प्रकरण में गवाह पी0ड01 डा0 दिनेश गौतम व पी0ड0 2 फरियादी नवलकिशोर के बयान लेखबद्ध हुए हैं।

5— केस डायरी पर प्रार्थी/अभियुक्त आशिक अली का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार बताया गया है:—

क्र. सं.	मुकदमा नंबर मय थाना	धारा	चार्जशीट नंबर	कोर्ट का नाम	न्यायालय प्रकरण संख्या	वर्तमान स्थिति	गिरफतारी की दिनांक या रिहाई की दिनांक
01	66/17.03.2011 पुलिस थाना अन्ता	13 आरपीजीओ	33/27.03.2011	जे.एम. अन्ता	90/11	न्यायालय जे.एम. अन्ता द्वारा दिनांक 23.09.2011 को दोषसिद्ध कर 100 रूपये जुर्माना	17.03.2011

6— जमानत आवेदन के संबंध में उभय पक्ष को सुना गया। बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी का प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस खारिज होने के उपरान्त प्रकरण में चालान पेश हो चुका है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित कर अब तक अभियोजन पक्ष के दों गवाहान पी0ड01 डॉक्टर दिनेश गौतम व फरियादी पी0ड02 नवलकिशोर के बयान हो चुके हैं। डाक्टर ने अपनी साक्ष्य में फरियादी की चोट को गंभीर व जीवन के लिए घातक नहीं बताया है। प्रकरण के एक अन्य आहत रामेश्वर के संबंध में तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार वह लकवाग्रस्त होकर स्पष्ट रूप से बोल सकने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में बदली हुई परिस्थितियों में प्रार्थी की ओर से यह तृतीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 24.03.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण एवं अंतिम निस्तारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय हाजा द्वारा लगायी जाने वाली सभी शर्तो का कानून के अनुसार पालन करने को तैयार है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की।

7— वितर्क में विद्वान लोक अभियोजक के तर्क रहे हैं कि चोटों की यह स्थिति तो पूर्व के जमानत प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के समय भी न्यायालय के समक्ष थी। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. सं0 218/2025 दिनांक 27.06.2025 को तथा द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस सं0 51/2026 दिनांक 06.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किये गए हैं। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नं0 8396/2025 प्रस्तुत की गई जो कि मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2025 के आदेश से खारिज की गई है, जिसमें मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा मौके पर प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति और आहत्गण के कारित सभी चोटें धारदार हथियार की होने को विचार में लिया गया है। पी0डब्ल्यू0—1 डॉक्टर दिनेश गौतम से जिरह में बचाव पक्ष की ओर से यह नहीं पूछा गया है कि उक्त चोटें संयुक्त व समग्र तौर पर प्राण घातक नहीं हो सकती थी। प्रार्थी का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने के उपरान्त प्रकरण में मात्र एक गवाह फरियादी पी0ड0 2 नवलकिशोर के बयान लेखबद्ध हुए हैं जिसने अपने बयानों में उसके पिता रामेश्वर के साथ प्रार्थी/अभियुक्त आशिक अली व अन्य द्वारा चाकू से मारपीट करने, स्वयं के द्वारा बीच बचाव करने पर उसके सिर, हाथ,गर्दन हाथ के गट्टे आदि स्थान पर चोटें मारे जाने का कथन किया है तथा धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में भी घटना की पुष्टि की गई है। प्रकरण में अभी एक अन्य आहत रामेश्वर के बयान लेखबद्ध होना शेष है। प्रकरण की परिस्थितियों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अतः विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

8— प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं सम्बन्धित विधि को विचार में लेते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

9— प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 331(2), 126(2), 115(2), 118(1), 3(5) बी0एन0एस0 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप हैं तथा उनकी अन्वीक्षा जारी है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. सं0 218/2025 दिनांक 27.06.2025 को तथा द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस सं0 51/2026 दिनांक 06.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किये गए हैं। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नं0 8396/2025 प्रस्तुत की गई जो कि मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2025 के आदेश से खारिज की गई है, जिसमें मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा मौके पर प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति और आहत्गण के कारित सभी चोटें धारदार हथियार की होने को विचार में लिया गया है। इस

न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त आशिक अली का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने से पूर्व परीक्षित अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 डॉक्टर दिनेश गौतम से जिरह में बचाव पक्ष की ओर से यह नहीं पूछा गया है कि उक्त चोटें संयुक्त व समग्र तौर पर प्राण घातक नहीं हो सकती थी। तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य में फरियादी/आहत पी0ड0 2 नवलकिशोर परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी साक्ष्य में घटना की पुष्टि की है। ऐसे में प्रकरण की परिस्थितियों में कोई बदलाव होना नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में अभी महत्वपूर्ण साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध की जानी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध बताये गए अपराध की गम्भीरता तथा प्रकरण के समस्त तथ्यो, परिस्थतियों के मद्देनजर प्रार्थी/अभियुक्त आशिक अली को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

10– परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **आशिक अली** की ओर से प्रस्तुत किया गया यह **तृतीय** जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बसंबंध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं 111/2025 थाना अन्ता **एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज** किया जाता है।

(सत्यनारायण टेलर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)

11– आदेश आज दिनांक **09.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सत्यनारायण टेलर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)

PRAMENDRA KUMAR GOYAL
sr: manshrim"Authenticated Document"
Digitally signed by PRAMENDRA KUMAR GOYAL
Date: 2026.03.13 15:44:49 +0530